राजस्थान राज्य

बनाम

वाकटेंग

7 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे.जे]

दंड संहिता, 1860 - एस.एस. 302 सपठित धारा 34, 324 सपठित धारा 34 और 326 सपठित धारा 34 मृत्यु पूर्व घोषणा और अंतर्गत धारा 27 के तहत हथियार की बरामदगी के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में दोषसिद्घ किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अपील किए जाने पर बरी किया गया, अभिनिर्धारित किया गया कि मृत्यु पूर्व घोषणा और बरामदगी दुर्बलता से ग्रस्त थी। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की उपधारा 32 और 27.

साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 32-मृत्यु पूर्व घोषणा का साक्ष्य मूल्य-यद्यपि दोषसिद्धि को बिना किसी पुष्टि के केवल मृत्यु पूर्व घोषणा पर दर्ज किया जा सकता है-लेकिन उसे किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं होना चाहिए-उसी पर भरोसा करते हुए, अदालत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बयान शिक्षण, उकसाने या कल्पना का परिणाम नहीं था।

प्रतिवादी-अभियुक्त पर अन्य लोगों के साथ एक व्यक्ति को चोट पहुँचाने और उसकी हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक व्यक्ति पर देखी गई चोटों के आधार पर पीडब्लू-4 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो उस समय बेहोश था। अपराध अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता में दर्ज हुआ किया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके दो दिन बाद मृतक का बयान (प्रदर्श पी 10) एस.एच.ओ. (पी.डब्ल्यू.7) द्वारा अस्पताल में दर्ज किया गया था। बयान में मृतक ने बताया कि कैसे आरोपी व्यक्तियों ने उस पर हमला किया। बयान पर मृतक के हस्ताक्षर थे। यह पता लगाये बिना कि क्या मृतक मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए और स्वस्थ और दिमाग की स्थिति में था। बयान के आधार पर आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी की निशादेही पर घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। कुछ दिनों के बाद मृतक की मृत्यु हो गई और अपराध को अंतर्गत 302 भारतीय दंड संहिता में बदल दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा मृतक की मृत्यु पूर्व घोषणा आर हथियार की बरामदगी पर भरोसा करते हुए सभी अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34, धारा 326 सपठित धारा 34 और धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार दिया गया। केवल प्रतिवादी-अभियुक्त ने अपील की, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदर्श पी. 10 एक मृत्यु पूर्व घोषणा नहीं हो सकती थी और हथियार की बरामदगी भी संदिग्ध थी इसलिए आरोपी को बरी कर दिया

गया था। इसलिए वर्तमान अपील याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1. केवल इसलिए कि बयान एक पुलिस कर्मी द्वारा बयान दर्ज किया गया है और मृतक के अंगूठे का निशान लगाया गया था जो तुरंत नहीं लगाया जा सकता है, अस्वीकार किया जाता है। इस तरह के बयान को घायल की मृत्यु के बाद मृत्यु पूर्व घोषणा के रूप में लिया जा सकता है यदि वह बयान दर्ज कराने के लिए स्वस्थ स्थिति में पाया जाता है। मौजूदा मामले में प्रदर्श पी-10 को अभियोजन साक्षी 7 द्वारा यह पता लगाए बिना दर्ज किया गया था कि मृतक मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए मानसिक और स्वास्थ्य की स्थिति में था या नहीं। गौरतलब है कि डॉक्टर पीडब्लू-3 ने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि प्रदर्श पी 10 किस समय हुआ था, प्रदर्श पी 10 दर्ज किया गया था और उसे नहीं पता कि मृतक बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में था या नहीं और उसे यह भी नहीं पता था कि मृतक ने उसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर किस भाषा में दिया था। [पैरा संख्या 11,12 और 13] [996-ई, एफ, जी; 997-ए]

पारस यादव व अन्य बनाम बिहार राज्य [1999] 2 एस.सी.सी.126,विशिष्ट।

राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम, [1999] 3 एस.सी.सी.507; राजिक राम बनाम जसवंत सिंह चौहान, ए.आई.आर (1975) एस.सी 667 और

तहसीलदार सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, ए.आई.आर.(1959)एस.सी. 1012, का उल्लेख किया गया है।

2. हालाँकि बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि केवल मृत्यु पूर्व दिये गये बयान के आधार पर की जा सकती है लेकिन उसे किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं होना चाहिए। जबकि मरने वाले व्यक्ति के शब्दों के साथ महान गंभीरता और पवित्रता जुड़ी हुई होती है क्योंकि मृत्यु के कगार पर खडे एक व्यक्ति के झूठ बोलने या एक मामला गढ़ने की संभावना नहीं है ताकि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा सके, लेकिन अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना होगा कि यह बयान या तो शिक्षण, उकसाने या कल्पना की उपज का परिणाम नहीं था। इसलिए, यह आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक बयान देने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त स्थिति में था, उसके पास हमलावर को देखने और पहचानने की स्पष्ट क्षमता थी और वह बिना किसी प्रभाव या द्वेष के बयान दे रहा था। एक बार जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मृत्यु पूर्व घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो यह दोषसिद्धि के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। [पैरा 14 और 15] [997-बी, सी, डी]

3. यह घटना दिनांक 8.6.1988 को घटित हुई और मृतक ने दिनांक 25-06-1988 को अंतिम सांस ली। प्रदर्श पी 10 को दिनांक 10-06-1988 रिकॉर्ड किया गया था। इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आ रहा था कि

मजिस्ट्रेट को यह बताने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा सका कि उसकी फिटनेस और स्वास्थ्य की स्थिति का प्रमाण पत्र और मृतक की हालत का रिकॉर्डिंग प्रदर्श पी-10 के समय क्यों नहीं हासिल किया जा सका। [पैरा 16] [997-डी, ई]

4. जहाँ तक तलवार की बरामदगी का सवाल है, उसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किसी भी जांच के लिए नहीं भेजा गया था और यदि कोई रिपोर्ट है तो जब अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई तो उसे पेश नहीं किया गया और यहां तक कि उस संबंध में आरोपी से कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। पी.सी [पैरा 17। 1997-ई, एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 677/2002

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 04.05.2001 की अपील सं. 526 सन 1993 से।

नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद और अरुणेश्वर गुप्ता अपीलार्थी।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें प्रतिवादी को बरी करने का निर्देश

दिया गया था। भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में ('आई.पी.सी.') की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए प्रतिवादी और दो अन्य लोगों को मुकदमें का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 सपठित धारा 34 और धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था। दो साल के कठोर कारावास, आजीवन कारावास और छह महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ डिफ़ाल्ट शर्त पर जुर्माना भी लगाया गया था।

2. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बांसबारा ने सभी तीन आरोपियों को दोषी ठहराया लेकिन दो अन्य अभियुक्तों ने कोई अपील नहीं की, जबकि प्रतिवादी ने अपनी दोषसिद्धि और दी गई सजा के खिलाफ अपील की। अपील में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को रदद कर दिया और बरी करने का निर्देश दिया।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

दिनांक 8.6.1988 को थानू (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) रात में तीन आरोपी व्यक्तियों के साथ वन की लकड़ी चुरा रहे आदिवासियों को पकड़ने के लिए अभियुक्त-प्रतिवादी वाकटेंग के कुएं पर गए। उन्होंने एक स्थानीय शराब 'महुदी', भी पी, और उसके बाद, आरोपी वाकटेंग ने मृतक से कहा कि वह गाँव के लोगों को डराता था, और

इसलिए, उसे आज सबक सिखाया जाएगा और एक तलवार ले आए और कुएं में छुपा दी और उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, जब मृतक थानू भागने लगा, तो धूलिया और लालू ने उसका पीछा किया और उसके बाद, धुलिया ने वाकटेंग से तलवार ली और मृतक की गर्दन पर दूसरा प्रहार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पडा।

4. यह तथ्यात्मक विवरण कथित मृत्यु पूर्व घोषणा प्रदर्श पी.-10 में पाया जाता है। एसएचओ (पीडब्लू-7) अभय सिंह भाटी द्वारा घटना के दो दिन बाद 10 जून, 1988 को सरकारी अस्पताल, बांसवाड़ा के सर्जिकल वार्ड में रिकॉर्ड किया गया।

5. एफ. आई. आर. प्रदर्श पी.-11 नवीन लाल (पीडब्लू-4) द्वारा थानू के शरीर पर देखी गई चोटों के आधार पर, दर्ज की गई थी, जो तब तक बेहोश था और था बोलने में सक्षम नहीं था और इसलिए न ही उसका कोई विवरण था। इसमें न तो अपराध का कोई वर्णन है और न ही हमलावरों का नाम है। धारा 307 आई. पी. सी. के तहत अपराध प्रदर्श पी.-11 के आधार पर दर्ज किया गया था और मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी चोटों की जांच की गई थी और उसका इलाज किया गया था और उसकी मृत्यु पूर्व घोषणा (प्रदर्श पी.-10) दर्ज की गई थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

6. इसके बाद दिनांक 25.6.1988 को थानू की मृत्यु हो गई और इसलिए, अपराध को एक भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत परिवर्तित किया गया। प्रदर्श पी.-10 के आधार पर, सभी अभियुक्त व्यक्तियों को 11 जून, 1988 को प्रदर्श पी. 12 से पी.-14 तक के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') के तहत एक प्रकटीकरण प्रदर्श बयान पी.-15 जैसा कि धुलिया द्वारा दिनांक 2 जून, 1988 को सुबह 08 बजे दिया था जिसके द्वारा मयान और तलवार को पुनः हासिल करना चाहता था और अपराध में इस्तेमाल की गई तलवार और उसी दिन साक्ष्य देने वाले गवाहों भिका (पीडब्लू 5) और चमना की उपस्थिति में प्रदर्श पी-7 धूलिया ने अपने आवासीय घर से मयान के साथ तलवार भी बरामद की, जिसे वहीं जब्त कर सील कर दिया गया। पुनर्प्राप्ति स्थल का एक स्थल योजना प्रदर्श पी-8 भी तैयार की गई थी। जाँच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया और आरोप तय किये गये।

7. अभियुक्त व्यक्तियों ने आरोपों से इंकार किया और मुकदमे का दावा किया। अभियोजन पक्ष के बयान को आगे बढ़ाने के लिए सात गवाहों से पूछताछ की गई। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए दो परिस्थितियों पर भरोसा किया; (i) मृत्यु पूर्व दिया गया कथित बयान और (ii) तलवार की बरामदगी। विचारण न्यायालय द्वारा

दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के कारण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक अपील दायर की गई थी।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि मृत्यु पूर्व घोषणा प्रदर्श पी-10 गंभीर संदेह के लिए खुला था। इसे एक मृत्यु पूर्व घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह न तो प्रश्न उत्तर के रूप में था और न ही प्रपत्र में था, और न ही मृतक की योग्यता का अनुमोदन दिया गया था। दूसरी ओर, राज्य ने दोषसिद्धि के आदेश का समर्थन किया। उच्च न्यायालय ने देखा कि मृत्यु पूर्व बयान को प्रश्न उत्तर प्रपत्र में दर्ज नहीं किया गया था और यह मृत्यु पूर्व बयान के रूप में नहीं लिखा गया था। इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने कहा कि प्रदर्श पी-10 न तो मृत्यु पूर्व घोषणा थी और न ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत एक बयान था क्योंकि उस पर मृतक के अंगूठे का निशान चिपकाया गया था। विचारण न्यायालय ने माना कि इसे जांच के दौरान दर्ज किया गया है और इसलिए यह साक्ष्य में स्वीकार्य है। उच्च न्यायालय ने पाया कि मृतक -10 को मृत्यु पूर्व घोषणा नहीं कहा जा सकता है और इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। दावे के अनुसार तलवार की बरामदगी पर भी संदेह है। तदनुसार, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना गया और इसलिए बरी करने का निर्देश दिया जाता है।

9. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृत्यु पूर्व घोषणा साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उच्च न्यायालय को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। यह कहा गया था कि केवल इसलिए कि मृतक के बयान देने की स्थिति को अंतिम सी घोषणा में नोट नहीं किया गया था, इसे सिरे से खारिज किये जाने का आधार नहीं हो सकता है।

10. यदि प्रदर्श पी-10 मृत्यु पूर्व कथन की श्रेणी में नहीं आता है तो इसे दोषसिद्धी का आधार नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जिसके तहत पुलिस के समक्ष हस्ताक्षरित बयान साक्ष्य में स्वीकार्य हो, भले ही वह अभियोजन पक्ष की कहानी का विस्तार से खुलासा करता हो।

11. केवल इसलिए कि एक बयान एक पुलिस कर्मी द्वारा दर्ज किया गया है और मृतक के अंगूठे का निशान लगाया गया था जो सीधे तौर पर नहीं हो सकता अस्वीकार कर दिया। (राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम, [1999] 3 एस. सी. सी. 507; राजिक राम बनाम जसवंत सिंह चौहान, एआईआर (1975) एससी 667 और प्रसिद्ध तहसीलदार का मामला, तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर (1959) एससी 1012 देखें)

12. पारस यादव व अन्य बनाम बिहार राज्य, [1999] 2 एस. सी. सी 126, में यह माना गया था कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा नियमित रूप से एक शिकायत के रूप में दर्ज किया गया मृतक का बयान न कि मृत्यु पूर्व बयान के रूप में, मृत्यु के बाद मृत्यु पूर्व बयान के रूप में लिया जा सकता है। यदि घायल व्यक्ति बयान देने के लिए स्वस्थ अवस्था में पाया गया। यदि मृत्यु पूर्व बयान एक जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। यदि अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य उचित संदेह से परे स्पष्ट रूप से स्थापित है कि मृतक होश में था और उसे अस्पताल ले जाया गया था और वह बयान देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था। तत्काल मामले में, स्थिति अलग प्रतीत होती है।

13. नवनीत लाल (पीडब्लू-4) ने उस स्थान पर जाने का दावा किया है जहाँ मृतक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और बोलने में असमर्थ था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल, बांसवाड़ा भेजा गया और साथ ही प्रदर्श पी-11 दाखिल किया गया। इसके दो दिन बाद सरकारी अस्पताल के शल्य चिकित्सा वार्ड में अभय सिंह भाटी (पीडब्लू-7) द्वारा बांसवाड़ा प्रदर्श पी 10 को कथित तौर पर दर्ज किया गया था, यह बिना पताएं लगाये कि मृतक मृत्यु पूर्व कथन देने के लिए मानसिक और स्वास्थ्य की स्वस्थ स्थिति में था या नहीं। विशेष रूप से, डॉक्टर बजरंग सिंह (पीडब्लू-3) ने कहा कि

उन्हें याद नहीं है कि किस समय प्रदर्श-10 दर्ज किया गया था और उन्हें नहीं पता कि मृतक बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में था या नहीं और उन्हें यह भी नहीं पता कि मृतक ने किस भाषा में उन्हें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

14. हालाँकि बिना किसी पुष्टि के मृत्यु पूर्व दिये गये बयान के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की दुर्बलता से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

15. जबकि मरते हुए आदमी के शब्दों में बहुत गंभीरता और पवित्रता जुड़ी होती है, क्योंकि मृत्यु के कगार पर एक व्यक्ति के झूठ बोलने या एक मामला गढ़ने की संभावना नहीं है, इसलिए न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना होगा कि यह बयान या तो शिक्षण, उकसाने या कल्पना का परिणाम नहीं था। इसलिए यह आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक बयान देने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त स्थिति में था, हमलावर का निरीक्षण करने और उसकी पहचान करने की स्पष्ट क्षमता थी और वह बिना किसी प्रभाव या द्वेष के बयान दे रहा था। एक बार जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मृत्यु पूर्व घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो यह दोषसिद्धि के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

16. एक अन्य कारक बहुत महत्वपूर्ण है। यह घटना दिनांक 8.6.1988 को घटित हुई और मृतक ने दिनांक 25.6.1988 को अंतिम सांस ली। प्रदर्श पी-10 को दिनांक 10.6.1988 को दर्ज किया गया था। इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आ रहा था कि मजिस्ट्रेट को यह बताने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा सका कि प्रदर्श पी-10 दर्ज करने के समय उसकी स्वास्थ्य स्थिति और मृतक की स्थिति का प्रमाण पत्र क्यों नहीं प्राप्त किया जा सका।

17. जहाँ तक तलवार की बरामदगी का सवाल है, उसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किसी भी जांच के लिए नहीं भेजा गया था और रिपोर्ट यदि कोई हो तो प्रदर्शित नहीं की गई थी और यहां तक कि उस संबंध में कोई सवाल भी आरोपी के सामने नहीं रखा गया था, जबकि संहिता की धारा 313 के तहत उसकी जांच की गई थी।

18. स्थिति से ऊपर, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से माना है कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी के खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहा है। अपील बिना गुणावगुण के खारिज की जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी धर्मवीर सिंह रुलानिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।